आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)निःशुल्क शिक्षा/अकाद/आकाशि/2016/1287 दिनांकः 15 फरवरी, 2019

परिपत्र

आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा सत्र 2018–19 हेतु समस्त राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम वर्ष स्नातक छात्र/छात्राओं से निःशुल्क शिक्षा योजना के आवेदन पत्र **दिनांक 02.03.2019 तक** निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

उल्लेखित निःशुल्क शिक्षा योजना से सम्बन्धित नियमों/शर्तो की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट **http:/www.hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। छात्र–छात्रा/ महाविद्यालय/ अभिभावक आवेदन फॉर्म विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर आवेदन फार्म को पूर्ण कर मय दस्तावेज के सम्बन्धित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करावें।

संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक अध्ययनरत महाविद्यालय को प्राप्त हो गये है। समस्त प्रमाण–पत्रों का संस्था प्रधान द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जाये तथा संस्था से सम्बन्धित समस्त कॉलम की पूर्तियां कर मय अभिशंषा सहित अपने हस्ताक्षर मय तिथि एवं सील लगाकर स्वीकृति की कार्यवाही करें। **निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।**

आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत पात्र एवं सम्भावित विद्यार्थियों की सूची सम्बन्धित महाविद्यालय की मेल पर प्रेषित कर समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त आवेदन पत्रों को योजना के नियम, शर्तो एवं संलग्नक की जांच उपरान्त राशि स्वीकृत कर विद्यार्थी के खाते में पुनर्भरण योग्य शिक्षण शुल्क ऑनलाईन हस्तान्तरण करें। इस हेतु आयुक्तालय से प्रति विद्यार्थी की शिक्षण शुल्क (पुनर्भरण योग्य) की गणना कर बजट प्राप्त करने हेतु अलग से पत्र/मेल आई.डी **jdacad1960@gmail.com** पर सूचना प्रेषित करें जिससे आपके महाविद्यालय को बजट आवंटित किया जा सके।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांकः एफ 7(4)निःशुल्क शिक्षा/अकाद/आकाशि/2016/1288–1293 दिनांकः 15 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, योजना एवं समन्वय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।.
5. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर को प्रेषित कर आपके अधीन महाविद्यालयों में उल्लेखित निःशुल्क शिक्षा योजना की क्रियान्वित करवा कर सूचित करें।
6. प्रभारी, वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।

15/02/19

(डॉ.आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक),

नि:शुल्क उच्च शिक्षा योजना

नियम व शर्तें

1–योजना :–

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत हैं तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख तक हैं, उन सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018–19 से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी । यह योजना शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रारम्भ की जा रही है ।

2–उद्देश्य :–

यह योजना मध्यम आय वर्ग (जिनके माता–पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख रू से 5.00 लाख रू0 तक है) ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को नि: शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

3–योजना के अन्तर्गत लाभ :–

3.1 राजकीय महाविद्यालयों (सामान्य शिक्षा) में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी।
3.2 स्ववित्त पोषी योजना के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम इस योजना में सम्मिलित नहीं है ।
3.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण एवं मध्यम आय वर्ग (रू0 2.50 लाख रू से 5.00 लाख रू0 तक) के परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा (प्रवेश के समय लगने वाला समस्त शुल्क) प्रदान की जायेगी ।
3.4 राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी ।

4–पात्रता :–

इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों :–

4.1 जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर ली हो ।
4.2 महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर में निरन्तर न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक पर ही 5 वर्षों तक उक्त योजना का लाभ देय होगा ।
4.3 जिनके माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये से 5 लाख रूपये तक हो ।
4.4 जो राजस्थान के किसी राजकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
4.5 उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हों।
4.6 वह राजस्थान का मूल निवासी हो ।
4.7 विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता हो ।
4.8 विद्यार्थी का आधार कार्ड बना हुआ हो ।
4.9 भामाशाह कार्ड बना हुआ हो।

5–आवेदन की प्रक्रिया :–

5.1 आवेदन फार्म कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट http://hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते है।
5.2 आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
5.3 पात्रता की समस्त शर्तो को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी ही ऑफलाइन आवेदन करें।
5.4 निर्धारित तिथि तक अध्ययनरत महाविद्यालय में मय दस्तावेज आवेदन पत्र व्यक्तिशः जमा करावें।

6–नि:शुल्क उच्च शिक्षा स्वीकृति प्रक्रिया :–

संस्था प्रधान ऑफलाइन प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर वांछित तथ्यों को सत्यापित कर आवेदन पत्र पर स्वीकृति की कार्यवाही करे। पात्र विद्यार्थियों की स्वीकृति हेतु आयुक्तालय से बजट प्राप्त कर राशि आहरित कर विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरण की कार्यवाही करे।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निशुल्क उच्च शिक्षा योजना हेतु आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र ....

Application ID of Online Admission (2018-19)															

I- व्यक्तिगत विवरण

प्राचार्य द्वारा सत्यापित विद्यार्थी की फोटो मय सील

1. **विद्यार्थी का नाम :** ....
2. **पिता/पति का नाम :** ....
3. **लिंग : पुरूष** ☐ **महिला** ☐ **अन्य** ☐
4. **जन्म तिथि :** ....
   (सैकण्ड्री परीक्षा अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. **श्रेणी (सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./अल्पसंख्यक) :** ....
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न् करें)
6. **निवास का पता :** ....

   .... **जिला** ....**राज्य** राजस्थान

   फोन (एसटीडी कोड) .... **फोन नं.** .... **मोबाईल नं.:** ....
7. **मूल निवास स्थान :** ....
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. **आधार कार्ड नं.** (स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....
9. **भामाशाह कार्ड नं.** (स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....
10. **माता–पिता/अभिभावक का व्यवसाय :** ....
11. **माता–पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय :** ....
    (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें जो छः माह से अधिक पुराना ना हो।)
12. **क्या विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि इस वर्ष प्राप्त की गई है ? (हॉ/नहीं)** .... (यदि नहीं तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करें)

II- गत परीक्षा से संबंधित विवरण

13. गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पूर्ण विवरण :

परीक्षा का नाम	परीक्षा वर्ष	रोल नं.	संकाय	प्राप्तांक	प्रतिशत	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम

(अंकतालिका की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

III-अध्ययनरत् महाविद्यालय से संबंधित विवरण

14. अध्ययनरत् महाविद्यालय का नाम ....

15. कक्षा .... संकाय ....प्रवेश तिथि ....

(फीस जमा रसीद की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

IV- विद्यार्थी के बैंक खाते से संबंधित विवरण

16. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम जिसमें विद्यार्थी का बचत खाता है ....

17. शाखा का नाम .... शहर ....जिला..

18. IFSC कोड .... खाता संख्या .... MICR कोड ....

(बैंक पासबुक की स्पष्ट स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या व MICR कोड अंकित हों)

मैं .... (विद्यार्थी का नाम) प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 18 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतयाः सही व सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई गई तो मैं छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि को वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक .... **विद्यार्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नकः–

क सं	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का विवरण	टिक (✓) मार्क करें
1	सैकण्ड्री प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
3	मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति	
4	आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति	
5	भामाशाह कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति	
6	आय प्रमाण पत्र/बी.पी.एल. कार्ड/पे–स्लीप/फार्म नं. 16 की स्व–प्रमाणित प्रति	
7	अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की गई है इस बाबत शपथ पत्र	
8	गत परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की स्व–प्रमाणित प्रति	
9	अध्ययनरत् महाविद्यालय में जमा कराई गई फीस रसीद की स्व–प्रमाणित प्रति	
10	राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की स्पष्ट स्व–प्रमाणित प्रति	
11	अन्य प्रमाण–पत्र	
	कुल संलग्नकों की संख्याः	

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ....पुत्र/पुत्री श्री .... शैक्षणिक सत्र .... में इस महाविद्यालय की कक्षा .... संकाय........................ में दिनांक .... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत् है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की जा रही है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि यह महाविद्यालय राज्य सरकार से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता प्राप्त है तथा .... (विश्वविद्यालय का नाम) से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सम्बद्वता प्राप्त है।
4. आवेदक द्वारा वांछित समस्त स्व–प्रमाणित संलग्नक प्रमाण पत्र आदि (कुल संख्या ....) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
5. विद्यार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 18 में दी गई समस्त जानकारी का सत्यापन उपरांत छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु अनुशंषा की जाती है।

दिनांक .... **हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील**

नोटः– विद्यार्थी आवेदन पत्र के समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करें। पूर्ण सूचना के अभाव में छात्रवृति स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। जिसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

शपथ–पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री ....जाति .... निवासी .... तहसील .... व जिला .... (राज0) मूल की निवासी हूँ जो कि निम्न कथन बयान करता/करती हूँ कि :

1. यह कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... महाविद्यालय .... (राज0) मे कक्षा .... में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हूँ।

2. यह कि मैंने .... योजना वर्ष ....हेतु आवेदन किया है।

3. यह कि मुझे राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृति, प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है।

4. यह कि मुझे अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के बाबत यह शपथ पत्र प्रस्तुत किाय जा रहा है।

शपथ गृहिता/गृहिती

प्रमाणीकरण

मैं उक्त शपथ गृहिता/गृहिती सशपथ सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 4 मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है।

ह0 शपथ गृहिता/गृहिती

Stamp

परिशिष्ट–ब

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए

प्रारूप भाग–I

1. निवास स्थान का पूर्ण पता:–..
2. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम..
पिता/पति क नाम श्री.......................आयु....वर्ष.....माह ....
तह....................जिला..............................पिनकोड....................
3. स्वयं /स्वयं की एवं पति की समस्त स्त्रोतोंसे सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:–

(1) कृषि भूमि(..........) आदि से आय: रू. ...	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रू. ...
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रू..........	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आय: रू.	कुल वार्षिक आय: रू. ....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.......... .... प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप भाग–II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी/प्रार्थियों.............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी... ....को भली प्रकार से जानते है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
नाम.................. –
(पद नाम मय दिनांक)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
नाम..................
(पद नाम मय दिनांक)

नोट :–(उत्तरदायी व्यक्ति यथा–सांसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग–III (शपथ –पत्र)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...............................शपथपूर्वक उदघोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू.........अक्षरे रू. ....है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग–IV(प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता क नाम) ....पिता/पति का नाम ....
आयु...............निवासी ....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान ....के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मय मुहर